लघु एवं कुटीर उद्योगों की अपेक्षा एक अवलोकन

(विकास खण्ड कपकोट-अल्मोड़ा के सन्दर्भ में)

(१)

प्रताप सिंह गढ़िया
चन्दन अधिकारी

GIDS Library
39249
I 338.642 GAR

गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ
GIRI INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES, LUCKNOW
Sector 'O' Aliganj Housing (Extension) Scheme, Lucknow-226 020

T
338.642
GAR

लघु एवं कुटीर उद्योगों की अपेक्षा एक अवलोकन

§ विकास खण्ड कपकोट § अल्मोड़ा § के सन्दर्भ में §

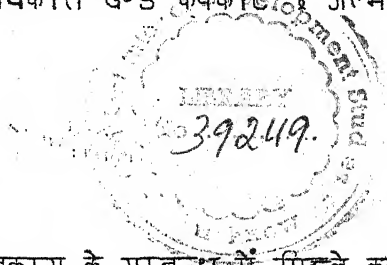

LIBRARY
39249

× प्रताप सिंह गढ़िया ×
× चन्दन अधिकारी ×

पर्वतीय क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में पिछले कई वर्षों से बहुत कुछ कहा व लिखा जा चुका है और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को विकसित, सुदृढ व अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास भी किया गया है । कृषि-विकास पर आधारित अर्थव्यवस्था पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, यह विचार बहुजन से मुखर हुआ है तथा कृषि के स्थान पर अन्य विकल्प भी सुझाये गये हैं जो अर्थव्यवस्था को नये आयाम देने में सक्षम हो सकते हैं जो परन्तु आज भी पर्वतीय जन कृषि पर चिपका हुआ है और अन्य आर्थिक गतिविधियों अनन्य सम्भावनाओं के बावजूद विकसित नहीं हो पायी है । पर्वतीय जिलों की आर्थिक समस्यायें कमोवेश एक सी है । कपकोट विकास खण्ड भी उन्हीं समस्याओं से प्रभावित है । उदाहरणत: विकास खण्ड में कृषि की प्रधानता व उसका परम्परागत स्वरूप, वृहत पलायन, कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं व वृद्ध व्यक्तियों की बहुलता, अल्पविकसित आधारभूत ढांचा व लघु कुटीर उद्योगों का अविकसित व ह्रासोन्मुख होना आदि । अव प्रश्न उठता है । कि योजनागत विकास के द्वारा अर्थव्यवस्था के मूलभूत ढाचे में परिवर्तन-जिसकी आवश्यकता समय समय पर योजनाकारों, बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रीयों व नीति-निर्धारिकों ने व्यक्त की है- वास्तविक रूप में हुआ है । इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आवश्यक है कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों-कृषि, पशुपालन, वन उद्योग व अन्य सेवाओं का आर्थिक विश्लेषण किया जाय, तदुपरान्त विकास सम्बन्धी विकल्पों का विवेचन किया जाय । प्रस्तुत लेख इसी दिशा में एक लघु प्रयास है । लेख विकास स्तर पर अर्थव्यवस्था संम्बन्धी आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण पूर्णत: व्यक्तिगत अनुभवों व अवलोकन पर आधारित है ।

× गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ ।

क्षेत्र की 88 प्रतिशत जनसंख्या कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के 8.47 प्रतिशत शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और प्रति व्यक्ति बोया गया क्षेत्रफल व औसत जोत क्रमशः 0.21 हैक्टर व 0.85 हैक्टर हैं जो कि अत्यन्त कम है और बढती हुई जनसंख्या के कारण क्रमशः कम होता जा रहा है। इसी प्रकार बड़े उद्योग न तो विकास खण्ड में है और न ही उनकी संम्भावनायें उपस्थित है । वाणिज्य व्यापार व अन्य सेवायें अविकसित कृषि व अनुपस्थित उद्योग की स्थित में कभी भी विकसित नही हो सकती हैं अतः स्पष्टतः विकास खण्ड के विकास की सम्भावनाये लघु एवं कुटीर उद्योगों में सन्निहित है, ऐसे उद्योग जो क्षेत्रीय संसाधनों, भौगोलिक बनावट पर्यावरण व जलवायु के अनुकूल हो ।

क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चलाये गये कार्यक्रम जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिला सघन कृषि कार्यक्रम, लघु एवं सीमान्त कृषक विकास कार्यक्रम, भारत जर्मन कृषि विकास कार्यक्रम व नवीनतम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि प्रमुखतः कृषि विकास कार्यक्रम ही रहे और इन कार्यक्रमों से आशातीत सफलता नही मिल पाई । अतः आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्र में वन एवं प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना व विकास पर बल दिया जाय , क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योग अपनी अनन्य क्षमताओं के बावजूद अविकसित आधारभूत ढ़ाचें, साहसी लोगो की कमी व लघु एवं कुटीर उद्योग विकास परक योजनाओं की कमी अथवा कार्यान्वयन में शिथिलिता आदि कारणो से विकसित नही हो पाये, जबकि इन उद्योगों के द्वारा अंशकालिक एवं पूर्णकालिक रोजगार के अनेकानेक अवसर प्रदान किये जा सकते हैं तथा इन्हें सीमित पूजी विनियोग द्वारा चलाया जा सकता है। इस प्रकार के उद्योगों में प्रमुखतः निम्न लघु एवं कुटीर उद्योग आते है ।

1. <u>ऊन उद्योग</u> :- विकास खण्ड कपकोट में ऊन उद्योग बहुत प्राचीन है । यह उद्योग जहाँ तन ढकने के लिये कपड़ा प्रदान करता है वही रोजगार के अवसर प्रदान कर स्थानीय लोगों की आय वृद्धि द्वारा उनकी क्रयशक्ति बढाने में सहयोग देता आया है । ऊन उद्योग में विकास खण्ड में तीन तरह

के लोग लगे हैं। पहले वर्ग में भोटिया जनजाति के लोग है जो कि सीमित भूमि होने के कारण ऊन उद्योग को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाये है तथा स्वयं भेड़ पालन, ऊन-उत्पादन, कताई बुनाई आदि द्वारा कालीन, पंखी, थुलमा पट्टू, चुटका, आसन, शाल, मफलर, स्वेटर आदि बनाते है। दूसरे वर्ग में हिमालय की सीमा पर सिथत चारागाहों के निकट बसे गाँवों के लोग जिन्हे दनपुरिया कहा जाता है आते हैं। जो भेड़ व बकरी पालकर ऊन उत्पादन करते है तथा भेड़ों के ऊन को बेचकर बकरियों के ऊन से स्वंय कताई कर कम्बल छवेल ‡ मोटा कम्बल ‡ कोट, पैन्ट, जूते आदि बनाते है। तीसरे वर्ग में विकास खन्ड की सामान्य जनता आती है जो कताई व बुनाई में मुख्यतया लगे हैं। भोटिया जनजाति तथा सामान्य जनता खादी बोर्ड श्री गाँधी आश्रम तथा सरकार के विभिन्न उत्पादन व परीक्षण केन्द्रों के माध्यम से कच्चे माल को प्राप्त करने की सुविधा उठाते है। वास्तव में ऊन उद्योग के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाय तो मालूम होता है कि 1962 में भारत चीन युद्ध से पूर्व विकास खण्ड में येह उद्योग काफी प्रगति पर था क्योंकि तिब्बत के साथ स्वतन्त्र व्यापार होने से कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। भारत तिब्बत सीमा बन्दी के बाद लोगों को कच्चे माल का आभाव होने लगा इस अभाव को दूर करने के लिये सरकार द्वारा नेपाल से ऊन आयात किया जाने लगा। आयातित ऊन पर्वतीय क्षेत्र में लगे कुशल कारीगरों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार उपलब्ध नही हो पा रहा है। भोटिया जनजाति के लोग जो कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में ऊन उद्योग के कुशल इ दस्तकार हैं आज विवश होकर रोजगार की तलाश में हैं। विकास खण्ड की विधवायें, वृद्धजन व 30 - 35 वर्ष की आयु में सेना की सेवा से पेन्सन होने वाला भूतपूर्व सैनिक जिनका कि ऊन उद्योग पूर्णकालिक व अंशकालिक था आज बेरोजगार है। बर्तमान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व श्री गाँधी आश्रम कें माध्यम से स्थानीय लोगो को कताई बुनाई के लिये ऊन दिया जाता है परन्तु ऊन इतना कम मिलता है कि कुशल दस्तकार ऊन उद्योग के प्रति उदासीन होते जा रहे है। परम्परागत तकनीक होने से कताई कारीगर एक

सप्ताह में लगभग 500 ग्राम ऊन की कताई कर सकता है इस प्रकार एक महीने में लगभग 2 किलोग्राम ऊन कताई द्वारा लगभग 40-50 रू0 प्राप्त करता है वह भी तब जब ऊन उपलब्ध हो। ऊन प्राप्त करने के लिये विभिन्न विभागों द्वारा जमानत की माँग की जाती है, जमानत के बिना गरीब तबका कच्चा माल प्राप्त करने में उसमर्थ रहता है। वर्तमान में ~~जबकि~~ बागेश्वरी चर्खे का आधुनिकीकरण किया जा चुका है जिसके माध्यम से कताई करने वाला दस्तकार प्रति माह कच्चा माल उपलब्ध होने पर लगभग 200-250 रूपया प्रतिमाह प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ऊन उद्योग विकास खण्ड कपकोट के लिये वरदान सिद्ध हो सकता है क्योंकि इसमें आय व रोजगार प्राप्त करने की सम्भावनायें विद्यमान है।

2. <u>वनस्पति सम्बन्धी उद्योग</u> :- पर्वतीय क्षेत्र सदियों से ही जड़ी-बूटियों का प्रचुर प्रदेश रहा है। आयुर्वेद की अनेक औषधियों के लिये आवश्यक जड़ी - बूटियाँ व वनस्पति आज भी बहुत अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं यद्यपि इनका दोहन समय के साथ-साथ कम होता जा रहा है । इसके अतिरिक्त अनेक पेड़ पौधों को भी अपनी-अपनी उपदेयता है लेकिन प्रकृति के इस विशाल भण्डार का दोहन नही हो पा रहा है क्योकि इन वस्तुओ को आन्तम उत्पाद में बदलने की तकनीक लोगों के पास नही है, पिछले कई वर्षों से सरकार नें रानीखेत व मोहान (रामनगर) में दवाई बनानें के कारखाने स्थापित किये है व विकास खण्ड के माध्यम से जड़ी-बूटियाँ एकत्रित करने की व्यवस्था भी की है परन्तु यह अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। विकास खण्ड कपकोट में उपलब्ध वनस्पतियों जिनका कि आर्थिक प्रयोग सकता है, का असीम भण्डार है जैसे कि सिर धोने के लिये भीरण, व अठनी की जडें, कपडा धोनें के लिये रामवांस व रीठा, दन्त मंजन हेतु अखरोट की खाल व तिमूर की लकडी , विभिन्न रंगो के लिये काफल, किरमड़, झूला व अखरोट की खाल, धूप व अगरबत्ती आदि सुगन्धित पदार्थों के लिये मासी, गोगुल, जरामासी, सेमल तथा नैर, मसालों के रूप में प्रयुक्त तिमूर, जम्बू, दालचीनी, तेजपत्ता आदि औषधियों के रूप में

प्रयुक्त होने वाली वनस्पतियाँ जैसे मेहल, डोलू., सर्पगन्धा, मीठा अमलतास, तिमूर , आवलाँ, हरड, निरवीसी , जगंली हल्दी, वनप्याज, सिलवड आदि अनेकानेक वनस्पतियाँ विकास खण्ड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

वर्तमान में सरकार की नीति भी किसी उद्योग का स्थानीयकरण उस जगह पर करने की रही है जहाँ पर पर्याप्त कच्चा माल व उसके शोषण की सम्भावनाये हो। विकास खन्ड में ये सम्भावनायें विद्यमान हैं, परन्तु आवश्यकता लोगो को विभिन्न वनस्पतियों के संग्रहण एवं महत्व के बारे में शिक्षित करने, वनस्पतियों पर अनुसंन्धान, बहुमूल्य एवं अन्तराष्ट्रीय महत्व की वनस्पतियों की खेती को प्रोत्साहन देने तथा जड़ी-बूटी विकास हेतु एक स्वतंत्र विभाग खोलने की है ताकि यहाँ की अपार वनस्पतियों का वैज्ञानिक दृष्टि से दोहनकर पूर्णकालिक व अंश-कालिक रोजगार के अवसर बढाये जा सकते हैं। खादी ग्रामोद्योग, श्री गाँधी आश्रम व सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जडी-बूटी, धूप एवं अन्य आयुर्वेदिक दवाओं के लिये छोटे-छोटे उद्योग खोले जा सकते है इसके साथ ही कस्तूरी मृग जो कि विकास खण्ड में पाये जाते है जो नैर की पत्तियाँ खाती है संरक्षण की भी आवश्यकता हैं ~~क्योंकि~~ कस्तूरी जैसी बहुमूल्य दवा से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।

4. <u>रिंगाल उद्योग</u> :- विकास खण्ड में रिंगाल उद्योग सम्भवतः तब से चला आ रहा है जब से कि मानवीय सभ्यता ने पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लिया, कालान्तर में प्रकृति प्रदत्त रिंगाल मानवीय सभ्यता का अभिन्न अंग बन गया क्योकि रिंगाल उत्पादों का उपयोग बच्चे के पालने से लेकर कृषि पशुपालन घरेलू एवं अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक मामलो में होता है आर्थिक महत्व के अलावा इसका पर्यावरणीय महत्व भी कम नही है। आर्थिक दृष्टकोण से रिंगाल उत्पाद बहुत कम लागत से कुटीर उद्योगों द्वारा बनाये जा सकते हैं। कच्चे माल के लिये रिंगाल के पौधों को विस्तृत पैमाने पर घर व खेतो के आस-पास लगाया जा सकता है इसके अतिरिक्त इसे बनो से भी प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले लोगो का आजीवन साथ निभाने वाले रिंगाल उद्योग के विकास

की सम्भावनायें विकास खण्ड कपकोट में विद्यमान है, क्योंकि इस विकास खण्ड में जहाँ रिंगाल प्रकृति-दत्त वन सम्पदा है वही क्षेत्र में रिंगाल-उत्पाद बनाने वाले कारीगरों की कमी नही है , ये कारीगर अतीत से विभिन्न प्रकार के रिंगाल-उत्पाद स्थानीय लोगों को अनेकानेक उपयोगों के लिये प्रदान करते आये हैं। लेकिन पिछलें कई वर्षों से रिंगाल उद्योग बरबादी के कगार पर है, क्योकि रिंगाल के पौधों का अन्धाधुन्ध कटान व गलत प्रयोग होने लगा, परिणामत: रिंगाल उत्पादों हेतु कच्चे माल की कमी महसूस होने लगी, अत: आवश्यकता इस बात की है कि व्यापक पैमाने पर रिंगाल का वनीकरण किया जाय व रिंगाल उत्पादों को सरकारी प्रश्रय प्रदान कर बड़े पैमाने पर बनाने के लिये ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया जाय ।

4. <u>रेशम व टसर उद्योग:-</u> पर्वतीय क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु तापमान व मिटटी की उपयुक्तता शहतूत व अर्जुन की खेती करने की व्यापक सम्भावनायें लिये हुये है। शहतूत की खेती व टसर उद्योग को प्रोत्साहित व विकसित करनें के लिये जिला उद्योग के विकास के लिये वाइवोल्टीन जाति के कीड़ो व अन्डों की व्यवस्था पर्वतीय क्षेत्रों में राजकीय बीजागार प्रेमनगर देहरादून द्वारा की जाती है रेशम के कीटों को दक्षिण दिशा की ओर खुलने वाले कच्चा मकान में अच्छा रहता है मकान में खिडकियाँ व बरामदा होने से कमरे का तापमान समान रहता है तथा टसर उत्पादन के लिये बाज व अर्जुन के पौधो का प्रयोग किया जाता है चूकि उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय ने रेशम व टसर विकास के कलिये कीटपालकों को 10 दिन तक विभाग में अण्ड़े पाल-कर नि:शुल्क देना , शहतूत उद्यानों में वृक्षारोपण के लिये नि:शुल्क शहतूत की कलमें उपलब्ध कराना, गरीब कास्तकारों को ऋण व अनुदान देना, विभागीय कर्मचारियों द्वारा कीटपालन की जानकारी देना तथा सहकारी समितियों के माध्यम से रेशम व टसर कोये की बिक्री व्यवस्था की है। विकास खण्ड में रेशम व टसर विकास की पर्याप्त संभावनाये होने पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित नही हो पाया है जबकि रेशम उद्योग कृषि पर आधारित होने से श्रम गहनता व न्यून पूँजी विनियोग से अधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। रेशम

उत्पादन के लिये शहतूत की खेती बीज बोकर या कलमें लगा-कर की जाती है उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय कानपुर के अनुसार प्रति एकड़ में शहतूत उद्योग की स्थापना, उद्यान रखरखाव व 2.5 औंस कीट पालन व्यय क्रमशः 2,000.00, 2,000.00, 3,880.00 रूपया आता है। इसके प्रति एकड़ 1,520 रूपया शुद्ध लाभ आता है। इसके अतिरिक्त रेशम व टसर उद्योग में 500 रूपया विनियोजित कर एक व्यक्ति को वर्ष भर रोजगार प्रदान किया जा सकता है जबकि संगठित क्षेत्र कें उद्योगों में लगभग 10,000 रूपयों की आवश्यकता होती है । रेशम व टसर उत्पादन के लिये शहतूत व वांज के पेड-पौधो का होना आवश्यक है विकास खण्ड कपकोट में लगभग सभी गाँवों में वाँज के पेड़ उपलब्ध है तथा सिविल पंचायती व निजी वनों में अर्जुन व सहतूत आसानी से उगाया जा कसता है जहाँ वाँज के .घनें जंगल है , वहाँ टसर विकास की सम्भावनायें काफी अधिक विद्यमान है। रेशम कीट पालन सिर्फ 25 दिन की समयविधि लेता है इस दौरान प्रारम्भ में कीटों को मुलायम पत्तियाँ दी जाती है इसके बाद बढ़ते कोड़ों को सख्त पत्तियाँ दी जाती है। रेशम का कोडा 72 घन्टें में कोया बना देता है उसके बाद प्यूपा में बदल जाता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि विकास खण्ड में सघन सर्वेक्षण कर सरकारी वन स्थानीय बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर व उनमें चेतना व साहस का विकास कर श्रम दिवसों की बृद्धि में सहयोग दे सकती है। सन् 1968-69 में चलाया गया अनेक टसर विकास कार्यक्रम पर्वतीय क्षेत्र के चमोली, पौढ़ी व पिथौरागढ़ जनपदों में अच्छी प्रगति कर रहा है, इन्ही जनपदों की देखा देखी इस उद्योग को पर्वतीय क्षेत्र में अनेक विकास खण्डों जहाँ कि इस उद्योग के विकास की संम्भावनायें उपलब्ध है विकसित किया जा सकता है।

5. <u>मौन पालन:-</u> विकास खण्ड में वसन्त ऋतु में प्रातः भ्रमण करने पर मधुमक्खियों की मधुर ध्वनि से सम्पूर्ण गाँवों व वनों में संगीतमय वातावरण हो जाता है। विकास खण्ड में मुख्यतया मौन भौंर अन्यार, झिमोड़ व पट्यों मौन प्रजाति मक्खियों का विशाल भण्डार है लेकिन मौन व भौंर ही शहद बनानें का काम करती

चूकि मधुमक्खियाँ सामाजिक कीड़े होते है इसलिये मनुष्यों की तरह कालोनी में रहना पसन्द करते है इनमें हजारों कार्यकर्ता, सैकडों नर और एक रानी होती है। रानी अन्डे देने का कार्यकरती है और एक दिन में लगभग 500 अन्डे देती है। कार्यशील मधुमक्खियाँ रानी के अन्डे के अन्डे देने के लिये छते में अलग अलग खाने बनाकर फूलों का पराग लेने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में जाते है। पराग के लिये सूरजमुखी, सरसों, मूली, तिल, बुराश, अंपार, च्यूरा, बेर खुबानी, आडू, सन्तरे व नींबू के पेड़ पौधे उपर्युक्त होते है।

शहद को वर्ष में दो बार कार्तिक का शहद दवाई के रूप में सबसें उत्तम होता है। विकास खण्ड में मौन पालन द्वारा शहद घरों में बना-कर, मौन बक्से रख कर बेलनाकार लकड़ी का ढाँचा बनाकर तथा जंगलों में चटआनों के अन्दर व पेड़ो के खोखलों से प्राप्त किया जाता है। मौन पालन पूर्ण रोजगार देने में सक्षम है वशर्ते कि शरद ऋतु में मौन बक्सों व ढाड़ों को मैदानी क्षेत्रों में पालने की सुविधा सुलभ हो। आंशिक रोजगार के रूप में तो मौन पालन उद्योग एक शौक के रूप में वरदान सिद्ध हो सकता है। विगत कुछ वर्षों से खेती में जहरीली दवाओं का प्रयोग होने से विकास खन्ड में मौनों का विनाश होता जा रहा है। आज आवश्यकता है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी कमीशन व श्री गाधी आश्रम के माध्यम से मौन पालन पर विशेष ध्यान देकर क्षेत्रीय लोगों को रोजगार प्रदान कर उनकी आय में बृद्धि की जाय।

6. खनिज सम्पदा पर आधारित उद्योग: यद्यपि खनिज सम्पदा के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनुसंधान द्वारा कुछ खनिजों के पर्वतीय क्षेत्रों में पाये जाने की बात कही है परन्तु कुछ एक खनिज पदार्थों को छोडकर खनिज सम्पदा का दोहन नही हो पाया। विगत कई वर्षों से पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भू-स्खलन होने के कारण पर्यावरणीय सन्तुलन बनाये रखने के लिये खनिज पदार्थों के दोहन को वाँछनीय नही माना गया है। जहाँ तक कपकोट विकास खन्ड का सम्बन्ध है यहाँ खडिया पत्थर के प्रचुर भण्डार

है और पिछले 4-5 वर्षों से स्थानीय लोगों के विरोध के वावजूद स्वार्थी तत्वों ने सरकार को बहकाकर खड़िया खनन की अनुमति प्राप्त कर ली । ये निजी ठेकेदार खड़िया खनन द्वारा अत्याधिक लाभ अर्जित कर रहे है जबकि दूसरी तरफ स्थानीय लोग जहाँ पर्यावरण सम्बन्धी खतरे की आशंका से हर पल आक्रान्त रहते हैं वहीं रोजगार सुविधा से भी वंचित रह गये है क्योंकि अधिकांश खनन नैपाली श्रमिको द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या खड़िया उद्योग का सरकारीकरण कर स्थानीय लोगों को यथासम्भव रोजगार अवसर प्रदान नही किये जा सकते हैं? अवश्य किये जा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ खनन में स्थानीय लोगों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय वहीं खड़िया द्वारा निर्मित अन्तिम उत्पाद भी स्थानीय लोगों द्वारा कुटीर उद्योगों के माध्यम से बनाये जाय। इसके लिये यह आवश्यक है कि स्थानीय लोगों को खडिया उत्पाद बनाने के लिये आवश्यकता प्रशिक्षण व तकनीकी ज्ञान, साज-सामान , वित्तीय - सुविधायें, बाजार-सुविधायें और इन सबके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात खड़िया उत्पाद बनाने के लिये कुटीर उद्योग खोलनें का साहस प्रदान किया जाय। यदि उक्त योजना सफल हो जाय तो कोई शक नही कि लोगों की आय व रोजगार के अवसरों में वृद्धि न हो। लेकिन इस योजना के कार्यान्वयन में प्रशासनिक प्रबन्ध व्यवस्था अहम् भूमिका निभायेगी।

7. <u>मशरूम</u> : वर्षात में पर्वतीय क्षेत्र के बनों में उगा मशरूम (कुकुरमुत्ता) रोजगार व आये बढ़ानें के लिये एक प्रमुख कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है। विकास खण्ड कपकोट में मशरूम की कई प्रजातियाँ जैसे कि कुर्तुमणी, (विषच्यो) जहरीला मशरूम व (च्यो) मशरूम आदद पाई जाती है । मशरूम को शब्जी के रूप में तथा कुर्तुमणी व जहरीले मशरूम को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। पिछले कई वर्षों से विकसित वैज्ञानिक तकनीक द्वारा वैज्ञानिकों के स योग से जनपद नैनीजाल में मशरूम की खेती घरों में की जाने लगी है जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार के साथ प्रतिमास

1000 से 1200 तक आय हो रही है और इसके विपणन विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। विकास खण्ड कपकोट में भी मशरूम की खेती गाँव गाँव में की जा सकती है क्योंकि मशरूम को शीलनयुक्त झुग्गी झोपड़ियों में गेहूँ की भूसी डालकर आसानी से उगाया जा कसता है, साथ ही बरसात में जंगलों में प्रचुर मात्रा मे स्वत: उत्पन्न होने वाले मशरूम का संग्रहण कर आ प्राप्त की जा सकती है।

8. पर्यटन उद्योग पर आधारित धन्धे : पर्यटन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब इसे एक उद्योग के रूप में मान जाने लगा है। पर्यटन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई लाभ है। पर्वतीय क्षेत्र तो पर्यटन के दृष्टि-कोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के प्राकृतिक, धार्मिक स्थल व सांस्कृतिक समारोह पर्यटको को सहज ही अपनी ओर आर्कषित करते है। विश्व शैलानियो का स्वर्ग पिण्ड़ारी ग्लैशियर, सरयू नदी का मूल, सहस्त्र धारा, शिखर की चोटी व उस पर सिथत मूल नारायण का मन्दिर , नैसर्गिक छटा के लिये प्रसिद्ध पाण्डुस्थल, सुन्दरडुगां, कफोनो, वनकरिया, चिल्टा, नन्दकुण्ड़ व मुजुवा आदि स्थलों को धारण किया हुआ विकास खण्ड कपकोट प्रारम्भ से ही शैलानियों का आर्कषिण केन्द्र रहा है परन्तु इन स्थल को सैलानियों को सुलभ कराने के लिये आवश्यक न्यूनतम सुविधायें जैसे कि सड़कें, घोड़ा सड़क पर्यटक गृह व भोजनालय आदि उपलब्ध नही है अत: आवश्यक है कि एक ओर सड़कें, डाकबंगलें आदि की व्यवस्था सरकार करे तथा दूसरी ओर कम लागत के साधन जैसे कि मार्गों में छोटे छोटे होटलों, दुर्गम स्थलों तक जाने के लिये घोड़े, खच्चरों, कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिये प्रदर्शिनी कक्षो आदि की व्यवस्था स्थानीय साहसियों को दी जाये ताकि वे आंशिक रोजगार प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

उपरोक्त उद्योगों के अलावा बनों पर आधारित उद्योग जैसे - तारपीन का तेल, फर्नीचर उद्योग, दियासलाई उद्योग आदि, पैकेजिंग सामग्री, मोमबत्ती व साबुन उद्योग दियासलाई उद्योग आदि स्थापित किये जा सकते है वशर्ते कि इन उद्योगों के लिये आवश्यक लकड़ी के जंगलों को बड़े पैमाने पर उगाया

जाय । इसके अतिरिक्त पनचक्की उद्योग को भी तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ व विकसित किया जा सकता है। किसी भी उद्योग के विकास हेतु कच्चा माल, साहस, पूंजी, प्रशिक्षण व बाजार आदि की आवश्यकता होती है और इन्ही सब साधनों की उपस्थित निसन्देह क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की प्रथम शर्त होगी, जहाँ तक साहसियों का प्रश्न है क्षेत्र में उपरोक्त उद्योगों की जानकारी वाले अनेक व्यक्ति उपलब्ध है लेकिन पूंजी, कच्चा माल, प्रशिक्षण व बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार को आगे आना होगा और विकास खण्ड को सरकारी तंत्र के रूप में अहम् भूमिका निभानी होगी। क्षेत्र में ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रम पिछले कई दशकों से चले आ रहे हैं लेकिन इन उद्योगों का विकास कहाँ हो पाया, आवश्यकता इस बात की है कि लोगों के सोचने समझने के दायरे में ही मौलिक व क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय । इसके लिये लघु एवं कुटीर उद्योग विकास का एक मास्टर प्लान बनाया जाय जिसके तहत विकास खण्ड को अन्य सरकारी विभागों जैसे कि वन, विद्युत, उद्योग आदि से निकट का सम्बन्ध स्थापित करना होगा और नये लक्ष्यो जिम्मेदारियों व विचारधाराओं के साथ सामने आना होगा। विकास खण्ड ही नही बल्कि पूरे सरकारी तंत्र विकास स्तर से जिला स्तर तक को आवश्यक रूप से अपनी सफलता का मापदण्ड उसे दी गई जिम्मेदारियों को पूरी करके देना होगा।

39249

राजेश

1000 से 1200 तक आय हो रही है और इसके विपणन विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। विकास खण्ड कपकोट में भी मशरूम की खेती गाँव गाँव में की जा सकती है क्योंकि मशरूम को शीलनयुक्त झुग्गी झोपड़ियों में गेहूँ की भूसी डालकर आसानी से उगाया जा सकता है, साथ ही बरसात में जंगलों में प्रचुर मात्रा मे स्वत: उत्पन्न होने वाले मशरूम का संग्रहण कर आय प्राप्त की जा सकती है।

8. पर्यटन उद्योग पर आधारित धन्धे : पर्यटन का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अब इसे एक उद्योग के रूप में मान जाने लगा है। पर्यटन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई लाभ है। पर्वतीय क्षेत्र तो पर्यटन के दृष्टि-कोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के प्राकृतिक, धार्मिक स्थल व सांस्कृतिक समारोह पर्यटको को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करते है। विश्व वैलानियो का स्वर्ग पिण्डारी ग्लैशियर, सरयू नदी का मूल, सहस्त्र धारा, शिखर की चोटी व उस पर सिथत मूल नारायण का मन्दिर , नैसर्गिक छटा के लिये प्रसिद्ध पाण्डुस्थल, सुन्दरडुगां, कफोनी, वनकरिया, चिल्टा, नन्दकुण्ड व मुजुवा आदि स्थलों को धारण किया हुआ विकास खण्ड कपकोट प्रारम्भ से ही वैलानियों का आकर्षण केन्द्र रहा है परन्तु इन स्थल को सैलानियों को सुलभ कराने के लिये आवश्यक न्यूनतम सुविधायें जैसे कि सड़कें, घोड़ा सड़क पर्यटक गृह व भोजनालय आदि उपलब्ध नही है अत: आवश्यक है कि एक ओर सड़कें, डाकबंगलें आदि की व्यवस्था सरकार करे तथा दूसरी ओर कम लागत के साधन जैसे कि मार्गों में छोटे छोटे होटलों, दुर्गम स्थलों तक जाने के लिये घोड़े, खच्चरों, कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिये प्रदर्शिनी कक्षो आदि की व्यवस्था स्थानीय साहसियों को दी जाये ताकि वे आंशिक रोजगार प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें।

उपरोक्त उद्योगों के अलावा बनों पर आधारित उद्योग जैसे - तारपीन का तेल, फर्नीचर उद्योग, दियासलाई उद्योग आदि, पैकेजिंग सामग्री, मोमबत्ती व साबुन उद्योग दियासलाई उद्योग आदि स्थापित किये जा सकते है वशर्ते कि इन उद्योगों के लिये आवश्यक लकड़ी के जंगलों को बड़े पैमाने पर उगाया

जाय । इसके अतिरिक्त पनचक्की उद्योग को भी तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ व विकसित किया जा सकता है। किसी भी उद्योग के विकास हेतु कच्चा माल, साहस, पूंजी, प्रशिक्षण व बाजार आदि की आवश्यकता होती है और इन्हीं सब साधनों की उपस्थिति निसन्देह क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की प्रथम शर्त होगी, जहाँ तक साहसियों का प्रश्न है क्षेत्र में उपरोक्त उद्योगों की जानकारी वाले अनेक व्यक्ति उपलब्ध है लेकिन पूंजी, कच्चा माल, प्रशिक्षण व बाजार की सुविधा प्रदान करने के लिये सरकार को आगे आना होगा और विकास खण्ड को सरकारी तंत्र के रूप में अहम् भूमिका निभानी होगी। क्षेत्र में ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रम पिछले कई दशकों से चले आ रहे हैं लेकिन इन उद्योगों का विकास कहाँ हो पाया, आवश्यकता इस बात की है कि लोगों के सोचने समझने के दायरे में ही मौलिक व क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जाय । इसके लिये लघु एवं कुटीर उद्योग विकास का एक मास्टर प्लान बनाया जाय जिसके तहत विकास खण्ड को अन्य सरकारी विभागों जैसे कि वन, विद्युत, उद्योग आदि से निकट का सम्बन्ध स्थापित करना होगा और नये लक्ष्यों जिम्मेदारियों व विचारधाराओं के साथ सामने आना होगा। विकास खण्ड ही नहीं बल्कि पूरे सरकारी तंत्र विकास स्तर से जिला स्तर तक को आवश्यक रूप से अपनी सफलता का मापदण्ड उसे दी गई जिम्मेदारियों को पूरी करके देना होगा।

39295

राजेश